रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./कोलकाता @भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/88/2022
दावा पंजीकरण तिथि : 28-07-2022
आदेशार्थ रखने की तिथि : 05st March, 2024
आदेश तिथि : 06th March, 2024

1) श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री रामलखन सिंह यादव,
2) रामलखन सिंह आत्मज स्व0 श्री मोती सिंह यादव,
निवासी–ग्राम परिहारा, पोस्ट–गैनीगिनी,
थाना व तहसील–फुदमा, जिला–औरंगाबाद (बिहार) .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आनन्द किशोर ओझा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदको ने अपने अविवाहित पुत्र मृतक *देवराज कुमार आत्मज श्री रामलखन सिंह* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं शपथ पत्र के अनुसार घटना के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि *23* वर्षीय मृतक सूरत में रहकर मजदूरी का काम करता था तथा वह अपने गांव–परिहारा से अपने रिश्तेदार–विनोद यादव एवं अरविंद यादव के साथ दिनांक 03-07-2019 को रफीगंज से सूरत का सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट संख्या–URD 46050878 लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक अन्य ट्रेन से आकर ट्रेन बदल कर दानापुर–उधना एक्सप्रेस कमांक–19064 से यात्रा कर रहा था एवं जनरल कोच में अत्याधिक भीड़ होने के कारण वह मजबूरीवश अन्य यात्रियों के साथ दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करते समय अचानक भीड़ का धक्का एवं तेज हवा का झोका (एयर करंट) लगने से कटनी स्टेशन के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे 108 एम्बूलेन्स से कटनी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहॉ पर उपचार के दौरान दिनांक 04–07–2019 को मृत्यु हो गई. सहयात्री रात्रि का समय होने से सोये हुए थे एवं जब नींद खुली एवं खोजा तो दिखा नहीं इतने में ट्रेन जबलपुर पहुॅच गई थी सहयात्रियों ने ट्रेन में फिर से तलाश किया और नहीं मिला बाद

निरंतर.....2/पर

Sd

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

गांव से फोन से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक ट्रेन से गिरकर घायल हुआ है जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है तब सहयात्री एवं परिजन कटनी पहुँचे. घटना की सूचना अस्पताल द्वारा कटनी पुलिस चौकी को मेमो से दिये जाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–57/2019 के अधीन पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही की. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन अविवाहित पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता–पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पांडेन्ट ने अपने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच, जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण को एडमिट मानते हुए अपना विरोध केवल इस बात तक सीमित रखा है कि सहयात्री के बयान के अनुसार बार–बार मना करने के बाद भी मृतक पायदान पर बैठकर यात्रा कर रहा था, जिसके लिए उसकी यह लापरवाही ही जिम्मेदार होने से प्रकरण को अपने जवाबदावे में सव्यय खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है,

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से आवेदक कमांक–1 ने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से *A-17* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. आवेदक–साक्षी का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

निरंतर.....3/पर

Sd/

5. तदनुसार दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: **निष्कर्ष** ::

इश्यूज कमांक–1 एवं 2 :

6. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. आधारभूत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं साक्षी की गवाही तथा रेस्पांडेन्ट *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में मृतक के विवेचित यात्री गाड़ी में सहयात्रियों के साथ यात्रा करने एवं कटनी स्टेशन पर उसके चलती ट्रेन से गिरने की घटना को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को देखते हुए प्रकरण को स्वीकार कर लिया है, बस औपचारिक तौर पर अपना विरोध इस बात तक सीमित रखा है कि सहयात्री के बयान के अनुसार मृतक बार–बार मना करने के बाद भी दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहा था, जिसके लिए उसकी स्वयं की लापरवाही जिम्मेदार है. रेस्पांडेन्ट ने अपनी जॉच रिपोर्ट में मृतक के पास टिकट कमांक–46050878 जब्त होना स्वीकार किया गया है.

7. चूँकि अंतिम तौर पर प्रकरण में यही तथ्य विवादित है कि दरवाजे पर बैठकर/खड़े रहकर यात्रा करने की यह गलती अथवा लापरवाही उस स्तर की गलती अथवा लापरवाही है जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों से आच्छादित हो जाएं तो इस प्रकार की लापरवाही को सामान्य लापरवाही मानते हुए **माननीय सुप्रीमकोर्ट ने *Jameela & Ors vs Union Of India* प्रकरण (CIVIL APPEAL NO. 1184 OF 2003) में दिनांक 27 अगस्त, 2010 को पारित न्यायसिध्दान्त में यह भलीभांति प्रतिपादित कर दिया है कि** *The manner in which the accident is sought to be reconstructed by the Railway, the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the railway itself as negligence. Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A. A criminal act envisaged under clause (c) must have an element of malicious intent or mens rea. Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act. Thus, the case of the railway must fail even after assuming everything in its favour.* माननीय सुप्रीमकोर्ट के उक्त उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए मैं रेस्पांडेन्ट की दी गई दलील को दरकिनार करते हुए यही अवधारित करता हूँ कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इश्यूज कमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज कमांक–3 :

8. घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पूख्ता

निरंतर..........4/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल — प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :

9. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पुत्र के अविवाहित होने से माता–पिता होने के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतक का आधारकार्ड व आवेदकों के आधारकार्ड व बैंक पासबुक तथा रॉशनकार्ड *(A-12 & 17)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. साक्षी के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर मृतक की माता ने मृतक को अपना पुत्र एवं उसके अविवाहित होने का कथन किया. इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B) (i)* के अधीन दोनों आवेदक मृतक के माता–पिता के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

10. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *04-07-2019* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत न करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 11-01-2023 से दिनांक 05-10-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

12. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	श्रीमती मीना देवी	माता	53	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	श्री रामलखन सिंह	पिता	59	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-

निरंतर.....5/पर

Sd/

13. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *04-07-2019* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत न करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 11-01-2023 से दिनांक 05-10-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

14. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :–

(1) ***15.*** उक्त तालिका के कमांक–1 एवं 2 अर्थात् मृतक के माता–पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् 40-40 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते हैं, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 360000-360000/- में से 6,000/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 60 माह की अवधि के लिए आरोही कम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

16. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

17. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

18. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

19. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

20. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

21. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

निरंतर..........6/पर

Sd/

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

22. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

23. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

24. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

25. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

26. लाभार्थी 15G or 15H (for senior citizen) (as applicable under sub section (2) of section 19 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

27. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

28. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

29. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

30. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

31. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

32. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

33. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

शेष.....7/पर

Sd

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण ★ प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि ★ भोपाल पीठ भोपाल

34. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि0 जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

35. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

36. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

37. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

38. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, कोलकाता @भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 06th March, 2024 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, कोलकाता @भोपालपीठ

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल